KAMAL MORARKA): (a) A Statement showing the assets, total income and profit before tax in 1988-89 (Accounting year ending in April, 1988 March, 1989) of companies registered under section 26 of the MRTP Act and belonging to seventy-eight industrial houses ranked according to their assets in 1988-89 is annexed. (*See* Appendix CLVIII, Annexure No. 20)

(b) The Statement annexed also shows the present increase in assests of the seventy-eight industrial houses in 1988-89 over 1987-88.

The assets of the industrial houses increase due to various factors like expansion, diversification, establishment of new undertakings, modernisation, amalgamation etc. It is also noted that the balance sheets for some of the companies for the accounting year 1988-89 were for periods exceeding 12 months.

(c) The MRTP Act *per se* does not provide for prevention of growth of the undertakins. However, through the administration of the MRTP Act, it is continuously ensured that concentration of economic power to common detriment does not take place.

Four-day Week in Govt. Offices

813. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are seriously considering a four-day week for Central Government offices ostensibly to effect savings in expenditure and petrol and Wednesday is the new holiday being thought of;

(b) whether Government have assessed the adverse effect this scheme would have on the efficiency of Government offices; and

(c) what is Government's final decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) There is no proposal under consideration of the Government regarding introduction of a four-day week for Central Government Administrative Offices.

(b) and (c) Do not arise.

स्वर्ण मन्दिर का सौन्दर्यीकरण

814. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र को और अधिक सुन्दर बनाने के लिए एक योजना बनायी थी ;

(ख) यदि हां, तो सबसे पहले इस योजना का प्रस्ताव कब किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर दिसम्बर, 1990 तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना को कब तक पूरा किया जाना था ;

(ङ) क्या ईसे योजना के काम को निर्धारित अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस योजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हा, श्रीमान् ।

(ख) योजना पहली बार 1988 में प्रस्तावित की गई थी ।

(ग) से (च) परियोजना का पहला चरण, जिसमें स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर 30 मीटर के अंदर भूमि का अधिग्रहण करना, भवनों को गिराना तथा मलबा साफ़ करना शामिल था, पूरा किया गया । राज्य सरकार खाके आदि की संरचनात्मक योजना को अंतिम रूप दे रही है । परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है ।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

815. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली में भी आतंकवादी गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1990 के दौरान दिल्ली में विभिन्न प्रकार की कितनी कितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं ;

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो इन गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त थे; और

(घ) कितने लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और उन्हें अदालतों ने इन तीन वर्षों के दौरान निर्दोष पाने के बाद छोड दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां, श्रीमान् । इनमें कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी गतिविधियों की संख्या इस प्रकार है :—

	1988	1989	1990
(1) आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोटों की संख्या	3	4	10
(2) बिना विस्फोटों हुए पता लगे बमों की संख्या	4	—	2
(3) विधि आतंकवादी गतिविधियां	3	7	4

(ग) उपरोक्त गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पकडे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

1988	1989	1990
10	18	13

(घ) जिन व्यक्तियों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए आरोप लगाए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला वापस लिए जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसे छोड दिया गया था तथा अन्य 5 व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया था ।